संख्या–346 / XLI-1 / 12–20 / 2012

शैलेश बगौली,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रूड़की (हरिद्वार)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 27 अप्रैल, 2012

विषयः– **उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग शासनादेश संख्या–193 / XXVII(1) / 2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के वचनबद्ध / अवचनबद्ध मदों के व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के 04 माह (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिये) संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनेत्तर पक्ष में ₹74,52,000 / – (रूपये चौहत्तर लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वचनबद्ध / अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

3– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक / अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या बी–2–2337 / 97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

7– बजट नियंत्रक अधिकारी बी.एम–17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के कम में जारी किया जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

8– विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

9– बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामलें में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी.एम–13 पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनश्चित किया जाय।

10– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2203–तकनीकी शिक्षा के अधीन संलग्नक परिशिष्ट में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

13– जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

14– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, मांजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3. निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. कोषाधिकारी, रूडकी, हरिद्वार।
5. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
7. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः–346/XLI-I/12–20/2012 दिनांक 27 अप्रैल, 2012 का परिशिष्ठ

राजस्व लेखा अनुदान संख्याः–11 (धनराशि रूपये हजार में)

लेखाशीर्षक/मानक मद		आयोजनेत्तर
2203–	तकनीकी शिक्षा	
800–	अन्य व्यय	
03–	प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद	
01–	वेतन	1667
02–	मजदूरी	333
03–	मंहगाई भत्ता	1133
04–	यात्रा व्यय	300
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	17
06–	अन्य भत्ते	200
07–	मानदेय	7
08–	कार्यालय व्यय	167
09–	विद्युत देय	67
10–	जलकर/जल प्रभार	10
11–	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	333
13–	टेलीफोन पर व्यय	33
15–	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	250
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1667
18–	प्रकाशन	667
19–	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50
22–	अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	67
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	33
31–	सामग्री और सम्पूर्ति	42
42–	अन्य व्यय	167
44–	प्रशिक्षण व्यय	167
45–	अवकाश यात्रा व्यय	33
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	42
	कुल योगः–	7452

(रूपये चौहत्तर लाख बावन हजार मात्र)

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 346/XLI-1/12-20/2012

अलोटमैंट आई डी - S1204110842

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक - 27-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 -

800 - अन्य व्यय 03 - प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा प

00 - प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा प

HOD Name - Secretary Technical Education Board (4107)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	1667000	1667000
02 - मजदूरी	0	333000	333000
03 - महंगाई भत्ता	0	1133000	1133000
04 - यात्रा व्यय	0	300000	300000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	17000	17000
06 - अन्य भत्ते	0	200000	200000
07 - मानदेय	0	7000	7000
08 - कार्यालय व्यय	0	167000	167000
09 - विद्युत व्यय	0	67000	67000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	333000	333000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	33000	33000
15 - सड़कों का अनुरक्षण और पेट्र	0	250000	250000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	1667000	1667000
18 - प्रकाशन	0	667000	667000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विक्रय	0	50000	50000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	67000	67000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	33000	33000
31 - सामग्री और सम्पत्ति	0	42000	42000
42 - अन्य व्यय	0	167000	167000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	167000	167000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	33000	33000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्ध	0	42000	42000
	0	7452000	7452000

RUPEES SEVENTY-FOUR LAKHS FIFTY-TWO THOUSAND ONLY